



पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

छायाप्रति प्रकोष्ठ का
क्रमांक -

पुनर्मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की छायाप्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र

अभ्यार्थी आवेदन पत्र स्वयं भरें एवं भरने के पूर्व नियमों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लें।
प्रति

कुलसचिव
पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर (छ.ग.)

प्राचार्य द्वारा
सत्यापित नवीनतम
छायाचित्र

महोदय,

मैं निवेदन करता/करती हूँ कि मुझे पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदित विषय में से निम्नलिखित प्रश्न पत्र की पुनर्मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की छाया प्रति प्राप्त करने अनुमति/पात्रता नियमानुसार प्रदान करें।

1. परीक्षार्थी का नाम	
2. पिता/पति का नाम	
3. घर का पता तथा टेलीफोन नं.	
4. परीक्षा का नाम	
5. महाविद्यालय/परीक्षा केन्द्र का नाम एवं पता	
6. परीक्षार्थी का रोल नं.	
7. परीक्षार्थी का नामांकन नं./पंजीयन क्र.	
8. पुनर्मूल्यांकन परीक्षा परिणाम घोषणा की तिथि	
9. छाया प्रति हेतु आवेदित प्रश्नपत्रों का नाम	1. 2.
10. निर्धारित शुल्क रु..... (अक्षर रूपये)	

विश्वविद्यालय कार्यालय में संलग्न नगद रसीद क./बैंक ड्राफ्ट नं..... दिनांक से जमा किया है।

- (1). मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में दी गई जानकारी सही है तथा जानकारी दुष्टीपूर्ण अथवा असत्य पाये जाने पर विश्वविद्यालय को मेरा आवेदन निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
- (2). यह भी प्रमाणित करता/करती हूँ कि उत्तर पुस्तिका की छायाप्रति का किसी भी प्रकार दुरुपयोग या द्वारा नहीं किया जायेगा।

संलग्न - (i) प्रवेश पत्र की छायाप्रति,
(ii) पुनर्मूल्यांकन रसीद की छायाप्रति ।
(iii) रसीद क./बैंक ड्राफ्ट ।

दिनांक.....

आवेदक/आवेदिका के हस्ताक्षर

पुनर्मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की छाया प्रति हेतु आवेदन—पत्र संबंधी प्रक्रिया के निर्देश

1. परीक्षार्थी विश्वविद्यालय से पुनर्मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं के छायाप्रति प्राप्ति हेतु निर्धारित नियमों व निर्देशों का समुचित अध्ययन करने के उपरांत, नियमों के अधीन आवेदन करें।
2. परीक्षा परिणाम निर्गमन तिथि से एक माह की अवधि में छायाप्रति शुल्क रूपये ₹300/- प्रति प्रश्न—पत्र पर जमाकर छायाप्रति हेतु आवेदन किया जा सकता है।
3. निर्धारित शुल्क विश्वविद्यालय के केश काउण्टर में सीधे नगद जमा अथवा बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जा सकता है। बैंक ड्राफ्ट कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के पक्ष में देय होना चाहिए। अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।
4. छात्र अपना आवेदन पत्र विश्वविद्यालय के कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकते हैं। पंजीकृत डाक द्वारा आवेदन पत्र इस पते पर भेजे—

प्रति,

कुल सचिव
पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। डाक से प्रेषित आवेदन पत्रों पर भी यह नियम लागू होगा।

लिफाफे पर भोटे अक्षरों में “पुनर्मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की छायाप्रति हेतु आवेदन” अवश्य अंकित करें।

5. आवेदन—पत्र सोच समझ कर सही—सही भरा जावे। आवेदन—पत्र में किसी भी प्रकार का सुधार करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। अभ्यार्थी केवल अपनी ही पुनर्मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की छायाप्रति हेतु आवेदन कर सकता है।
6. पुनर्मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र निःशुल्क है। परीक्षार्थी आवेदन—पत्र का प्रारूप संबंधित/अधिकृत महाविद्यालय से या विश्वविद्यालय के पूछताछ विभाग (स्वागत कक्ष) बस्तर परिसर जगदलपुर या वि.दि. द्वारा अधिसूचित स्थानों अथवा विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.prstu.ac.in से प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्र की छायाप्रति अथवा टक्कित प्रति भी भान्य होगी।
7. आवेदक आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रपत्र संलग्न करेंगे—
 - (i) प्रवेश पत्र की छायाप्रति।
 - (ii) पुनर्मूल्यांकन रसीद की छायाप्रति।
8. आवेदक का आवेदन पत्र प्राचार्य/केन्द्राध्यक्ष द्वारा अप्रेषित होना आवश्यक है। परीक्षार्थियों को छायाप्रति की सूचना/जानकारी संबंधित महाविद्यालय के माध्यम से स्वतः लेनी होगी। आवेदक को आवेदित पुनर्मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की छायाप्रति प्राचार्य/केन्द्राध्यक्ष के माध्यम से स्वयं उपस्थित होने पर प्रदान की जायेगी। आवेदक के अतिरिक्त किसी अन्य को छायाप्रति नहीं दी जायेगी।
9. परीक्षार्थी अधिकतम दो प्रश्न पत्रों की उत्तर पुस्तिकाओं का छायाप्रति प्राप्त कर सकता है, दो प्रश्न पत्रों के लिए अलग—अलग दो आवेदन पत्र भरने की आवश्यकता नहीं है। एक ही आवेदन पत्र में दो प्रश्न पत्रों के लिए निवेदन किया जा सकता है।
10. पुनर्मूल्यांकन के लिए पात्रता नहीं होने के कारण जिन परीक्षार्थियों को पुनर्मूल्यांकन आवेदन पत्र निरस्त किये गये हैं उन्हें छायाप्रति प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी।

कुलसचिव